


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
 क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/ दिनांक
आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30 10 2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1	श्रीमती उमा शर्मा, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	10 01 2001	18 वर्ष	10 01 2019	एल-9
2	श्रीमती विजयलक्ष्मी, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	09 02 2001	18 वर्ष	09 02 2019	एल-9
3	श्री रेखराज कुमावत, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	28 09 1991	27 वर्ष	28 09 2018	एल-11
4	श्री राजेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, जयपुर।	01.10 1991	27 वर्ष	01 10 2018	एल -11
5	श्री रामप्रसाद, वरिष्ठ सहायक, अलवर।	30 09 1991	27 वर्ष	30 09 2018	एल-11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप सबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।


 (मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राज0 जयपुर

दिनांक . 27/03/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/827

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर/सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जयपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय/अलवर।
- 4 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़बास, अलवर।
- 5 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।


 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राज0 जयपुर